नगर
नि
देहरादून

G20

कार्यालय नगर निगम, देहरादून

दूरभाष–0135–2714074, फैक्स–0135–2651060, website-www.nagarnigamdehradun.com
Email-nagarnigam.ddn@gmail.com.

पत्रांक 104/ST/2023 दिनांक 20/02/2023

आदेश

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 (समय–समय पर यथा संशोधित), ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 (समय–समय पर यथा संशोधित) उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–84/XXXVIII–1–20–13(11) 2001; दिनॉक 16.02.2021, नगर निगम अधिनियम–1959 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं रिट याचिका संख्या–93/2022 जितेन्द्र यादव बनाम राज्य में समय–समय पर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के अनुपालनार्थ, निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

1. देहरादून नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत समय–समय पर समस्त सिनेमाघरों, मॉल, शॉपिंग कॉम्लैक्स, होटल एवं रेस्तरा, कैफे, मोबाईल फूड काउन्टर/वैन, कैटरर्स, वैडिंग/पार्टी हॉल, मीट शॉप, फल एवं सब्जी मण्डी व्यवसायियों आदि के द्वारा अपने प्रतिष्ठान में उत्पादित होने वाले ठोस अपशिष्ठ का ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के अनुसार पृथकीकरण करते हुए स्वय निस्तारण करना होगा।
2. उपरोक्त के साथ–साथ 50 निवास/रिहायसी ईकाईयों से अधिक के हाईराईज एपार्टमैंट (High Rise Apartments)/मल्टी फ्लोर रेजिडेन्सियल सोसाईटी (Multi Floor Residential Society) को भी उक्तानुसार सूखा–गीला कूड़ा पृथकीकरण करते हुए निस्तारण करना होगा।
3. मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के कम में उपरोक्तानुसार संस्थानों को सूखा कचरा/प्लास्टिक कचरा पृथक–पृथक करते हुए सीधे रिसाईकलर को उपलब्ध कराना होगा।
4. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 एवं कचरे के बेहतर प्रबन्धन हेतु बल्क वेस्ट जनरेटर (Bulk Waste Generator) की श्रेणी में आने वाले उपरोक्त समस्त संस्थानों को गीले कूडे/जैविक कूड़े का पृथकीकरण करते हुए कम्पोस्टिंग अथवा अन्य विधिमान्य तरीके से स्वयं निस्तारण करना होगा।
5. इस हेतु समस्त संस्थानों को नगर निगम देहरादून द्वारा इस नोटिस के प्रकाशन होने के 20 दिवस के भीतर निगम को कार्ययोजना उपलब्ध करानी होगी, तदोपरान्त एक माह के भीतर उपरोक्त निर्देशों का कियान्वयन भी करना होगा। ऐसा न करने पर निम्नानुसार जुर्माना/चालान किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित पार्टी का स्वय: का होगा:–
   - 15 दिवस के भीतर कार्ययोजना न देने पर प्रथम जुर्माना रू0 5000/–(रूपये पांच हजार मात्र) एवं तदोपरान्त प्रत्येक बार रू0 10,000/–(रूपये दस हजार मात्र) का जुर्माना निर्धारित किया जायेगा।
   - कार्ययोजना जमा करने एवं स्वीकृति के पश्चात एक माह में कार्ययोजना अनुसार कियान्वयन न करने की स्थिति में प्रथम बार रू0 10,000/–(रूपये दस हजार मात्र) एवं तदोपरान्त रू0 20,000/–(रूपये बीस हजार मात्र) का जुर्माना प्रत्येक बार निर्धारित किया जायेगा।
6. नगर निगम देहरादून द्वारा इस हेतु पृथक बैठक दिनॉक 28.02.2023 को नगर निगम टाऊन हॉल में की जायेगी, जिसमें सम्बन्धित पार्टी अपना पक्ष रख सकते है अथवा आदेश के सम्बन्ध में संवाद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश के बेहतर कियान्वयन हेतु समय–समय पर अग्रिम दिशा–निर्देश भी जारी किये जायेंगे। उपरोक्त आदेशों के कियान्वयन हेतु नगर निगम देहरादून द्वारा समस्त सम्भव सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(मनुज गोयल)
आई0ए0एस0,
नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

सार्वजनिक सूचना

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 (समय–समय पर यथा संशोधित), ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 (समय–समय पर यथा संशोधित एवं नगर निगम अधिनियम–1959 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

1. देहरादून नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत समय–समय पर समस्त सिनेमाघरों, मॉल, शॉपिंग कॉम्लैक्स, होटल एवं रेस्तरा, कैफे, मोबाईल फूड काउन्टर/वैन, कैटरर्स, वैडिंग/पार्टी हॉल, मीट शॉप, फल एवं सब्जी मण्डी व्यवसायियों आदि के द्वारा अपने प्रतिष्ठान में उत्पादित होने वाले ठोस अपशिष्ठ का ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के अनुसार पृथकीकरण करते हुए स्वय निस्तारण करना होगा।
2. उपरोक्त के साथ–साथ 50 निवास/रिहायसी ईकाईयों से अधिक के हाईराईज एपार्टमैंट (High Rise Apartments)/मल्टी फ्लोर रेजिडेन्सियल सोसाईटी (Multi Floor Residential Society) को भी उक्तानुसार सूखा–गीला कूड़ा पृथकीकरण करते हुए निस्तारण करना होगा।
3. मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के कम में उपरोक्तानुसार संस्थानों को सूखा कचरा/प्लास्टिक कचरा पृथक–पृथक करते हुए सीधे रिसाईकलर को उपलब्ध कराना होगा।
4. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 एवं कचरे के बेहतर प्रबन्धन हेतु बल्क वेस्ट जनरेटर (Bulk Waste Generator) की श्रेणी में आने वाले उपरोक्त समस्त संस्थानों को गीले कूडे/जैविक कूड़े का पृथकीकरण करते हुए कम्पोस्टिंग अथवा अन्य विधिमान्य तरीके से स्वयं निस्तारण करना होगा।
5. इस हेतु समस्त संस्थानों को नगर निगम देहरादून द्वारा इस नोटिस के प्रकाशन होने के 20 दिवस के भीतर निगम को कार्ययोजना उपलब्ध करानी होगी, तदोपरान्त एक माह के भीतर उपरोक्त निर्देशों का कियान्वयन भी करना होगा। ऐसा न करने पर निम्नानुसार जुर्माना/चालान किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित पार्टी का स्वयः का होगाः–
6. नगर निगम देहरादून द्वारा इस हेतु पृथक बैठक दिनॉक 28.02.2023 को नगर निगम टाऊन हॉल में की जायेगी, जिसमें सम्बन्धित पार्टी अपना पक्ष रख सकते है अथवा आदेश के सम्बन्ध में संवाद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश के बेहतर कियान्वयन हेतु समय–समय पर अग्रिम दिशा–निर्देश भी जारी किये जायेंगे। उपरोक्त आदेशों के कियान्वयन हेतु नगर निगम देहरादून द्वारा समस्त सम्भव सहयोग प्रदान किया जायेगा। विस्तृत जानकारी के लिये नगर निगम के स्वास्थ्य अनुभाग में सम्पर्क कर सकते हैं।

नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम देहरादून।

कार्यालय नगर निगम, देहरादून

दूरभाष–0135–2714074, फैक्स–0135–2651060, website-www.nagarnigamdehradun.com
Email-nagarnigam.ddn@gmail.com.

पत्रांक 2362 CH)

दिनांक 20/02/23

प्रतिलिपि:–

1. सम्पादक.................................समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के देहरादून संस्करण में आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए निर्धारित छूट के साथ बिल इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. आई0टी0 अधिकारी, को इस निर्देश के साथ कि उक्त को नगर निगम की बैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. कार्यालय प्रति।

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम देहरादून।